23/4/18

Sir
खारिज किया जाने की कृपा करें
5/6/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित । पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त है/ भ्रमण पर है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 5/6/18 को पेश हो।

पत्रावली अन्तर्गत धारा 151 दीवानी अदालत न्यायालय आपके द्वारा 2018 कैम्प राजपुर में पेश हुई। पत्रावली पर प्रार्थी/वादी रामनिवास मूंड द्वारा प्रस्तुत होकर प्रार्थनापत्र बाबत वाद को खारिज किये जाने बाबत कर निवेदन किया है। इसमें उत्तरवादी द्वारा पुराने खसरा आपके के आधार पर फर्जी बिना इकरार डिक्रीज बाड़मेर डिक्लेयर्ट के आधार होने के कारण काफी खत्म कर दिया है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करने बाबत दावा किया जाना आवश्यक है। उक्त आधार पर दावा प्रकरण के प्रार्थी का नाम कहीं भी पूर्व रेकार्ड व वर्तमान रिकार्ड में काफी विसंगतियां है जिनको दुरु किया जाना आवश्यक है तथा उक्त वाद को खारिज किये जाने प्रार्थी को लुआब पत्रावली व इन्द्राज डायरी का अवलोकन किया/सुना है पत्रावली अभिलेख पर अंकित किये प्रकरण खारिज किया जाने बाबत प्रार्थी/वादी के विद्वान वकील कावड़ा की पेश पर खारिज किया जाता है पत्रावली में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official